संख्याः 3557 /XVIII(II)/2009–1(152)/2008

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, 2009

विषयः–साई विकास समिति को ग्राम आरकेडिया ग्रान्ट, तहसील सदर, जिला देहरादून में तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के सचालन हेतु कुल 2.226 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–35/12ए0–07(2008–11)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक–23.अक्टूबर, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, साई विकास समिति राजपूर रोड देहरादून को ग्राम आरकेडिया ग्रान्ट, तहसील सदर, जिला देहरादून में तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कुल 2.226 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III)के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति के दृष्टिगत एवं आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित गाटा/खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के सांथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इजीनियरिंग, इनफॉमेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इजीनियरिंग आदि तकनीकी पाठयक्रम) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न

प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग तकनीकी शिक्षा संस्थान हेतु कर लिया जायेगा।

8– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर इजीनियंरिग संस्थान की स्थापना हेतु नियमानुसार ए0आई0सी0टी0ई0 को आवेदन कर दिया जाएगा जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग इजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु कर लिया जोयगा।

10– ए0आई0सी0टी0ई0 की संस्तुति से पूर्व संस्था द्वारा इजीनियरिंग संस्थान का संचालन नही किया जायेगा।

11– संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुधार के लिए ए0आई0सी0टी0ई0, शासन एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत समस्त नियमों एवं आदेशो का अनुपालन सुनिशचित किया जायेगा।

12– संस्था को वर्तमान में दी जा रही भूमि क्रय की अनुमति, भूमि उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नही होगी तथा इसके लिए संस्था द्वारा पृथक से सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

13– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो।इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉं/स्वीकृतियॉं प्राप्त कर ली जायेगी ।

16– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

17– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–3557(1)/समदिनांकित 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– अध्यक्ष, साई विकास समिति, 04 एफ0 एस्लै हॉल राजपुर रोड देहरादून।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।